राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 130 / 2020
GCMS No.2020/00490

1. फूलचन्द पुत्र स्व. मूलाराम
2. रामचन्द्र पुत्र स्व. मूलाराम
3. हरीराम पुत्र स्व. मूलाराम
   जाति माली निवासी लालगढ़, पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
4. सन्तोषी पुत्री स्व. मूलाराम पत्नी रामजीलाल
5. पाना पुत्री स्व. मूलाराम पत्नी सेडूराम
   जाति माली निवासी हाल आबाद ढाणी फतेहसिंह वाली, तन् मावण्डा स्टेशन तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज0
6. अन्ची पुत्री स्व. मूलाराम पत्नी मेरूराम
7. विमला पुत्री स्व. मूलाराम पत्नी नारूराम
   जाति माली निवासी हाल आबाद जिलो, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्योपाल
2. गिरधारी पुत्र स्व. श्योपाल
3. हजारी लाल पुत्र स्व. श्योपाल
4. बालूराम पुत्र स्व. श्योपाल
5. मन्नी पत्नी स्व. रामदयाल पुत्रवधु श्योपाल
6. रतनलाल पुत्र स्व. रामदयाल नवीरा श्योपाल
   जाति माली निवासी लालगढ़, पोस्ट पपुरना, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. कविता पुत्री स्व. रामदयाल पत्नी सरजीत
8. तारा पुत्री स्व. रामदयाल पत्नी अशोक
   जाति माली निवासी ढाणी काकड़ की, स्यालोदड़ा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज.
9. मीना पुत्री स्व. रामदयाल पत्नी सुनील
10. किरण पुत्री स्व. रामदयाल पत्नी मुकेश
    जाति माली निवासी ढाणी ढेहरा वाली, गुहाला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज0
11. ज्याना पुत्री स्व. श्योपाल पत्नी पूरण
12. सन्तरा पुत्री स्व. श्योपाल पत्नी बाबुलाल
    जाति माली निवासी बाग की ढाणी, तन् ढाणा, सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज.
13. मल्ली पुत्री स्व. श्योपाल पतनी राजेन्द्र
14. मन्जु पुत्री श्योपाल पत्नी देवुराम
    जाति माली निवासी हाल आबाद दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज.
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दावा अधिकार घोषणात्मक

:: निर्णय :: दिनांक : 08—08—2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम लालगढ़, पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी हाल खाता सं. 82 के हाल ख.नं. 3237 रकबा 0.12 है., ख.नं. 3238 रकबा 0.12 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है. भूमि वादीगण के पड़दादा नाराना पुत्र मगना हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के पिता व पितामह श्योपाल पुत्र काना हिस्सा 1/2 की खातेदारी भूमि है जो उनके नाम से खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पड़दादा नाराना पुत्र मगना का सन् 1965 में स्वर्गवास हो गया था। वादीगण स्व. नाराना पुत्र मगना के वारिश/उत्तराधिकारी है। वादीगण के पड़दादा नाराना पुत्र मगना के स्वर्गवास के बाद उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगण के दादा व पिता काबिज काश्त थे व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा श्योपाल पुत्र काना का भी स्वर्गवास हो गया है। स्व. श्योपाल पुत्र काना के वारिशान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 है जो उसके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण के पड़दादा नाराना पुत्र मगना की मृत्यु के पश्चात आज तक न तो वादीगण के दादा व पिता के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज हुआ व ना ही वादीगण के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज हुआ। जबकि वादीगण के पड़दादा का स्वर्गवास सन् 1965 में हो गया तथा वादीगण अपने पड़दादा व दादा तथा पिता की मृत्यु के बाद अपने पड़दादा नाराना पुत्र मगना की उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जबकि इसकी खातेदारी अभी वादीगण के पड़दादा नाराना पुत्र मगना के नाम से दर्ज चली आ रही है। इसलिए वादीगण को यह वाद घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी हाल खाता सं. 82 के हाल खसरा नंबर 3237 रकबा 0.12 है., ख.नं. 3238 रकबा 0.12 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है. में दर्ज नाराना पुत्र मगना का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण को उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 14 की श्री विजयसिंह कसाणा एडवोकेट ने दिनांक 15.03.2021 को अण्डर टेकिंग ली। अण्डर टेकिंग को 3 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी इनकी ओर से ना तो वकलातनामा पेश किया और ना ही प्रतिवादीगण की ओर जवाब दावा पेश किया। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीग सं. 15 भी बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076—2079 खाता सं. 82 ग्राम लालगढ़, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल मिसल हैकियत संवत् 2043, नकल जमाबन्दी संवत् 2018—21, संवत् 2026—29, संवत् 2030—33, संवत् 2043, संवत् 2047—50, संवत् 2051—54, संवत् 2055—58, संवत् 2059—62, संवत् 2063—66, संवत् 2065—68, संवत् 2068—71 पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 14

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

स्व. मगना के वारिशान है। जमाबन्दी संवत् 2043 मिसल हैकियत में नाराना पुत्र मगना श्योपाल वल्द काना माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि के गत् खसरा नंबर 4105, 4106 से हाल खसरा नंबर 3237, 3238 निर्मित हुए है जो पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान क्षेत्रफल से साबित है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता संख्या नया 82 में नाराना पुत्र मगना हिस्सा 1/2, श्योपाल पुत्र काना हिस्सा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनों खातेदारान का देहान्त हो चुका है, वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाराना पुत्र मगना व श्योपाल पुत्र काना की मृत्यु होने के पश्चात् उनके फौतगी विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही नही हुई है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार मृतक खातेदार नाराना व श्योपाल के विधिक वारिशान की जांचकर नियमानुसार फौतगी विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः **ग्राम लालगढ़** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के हाल खाता संख्या नया 82 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 3237, 3238 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है. में वर्तमान में दर्ज मृतक खातेदार नाराना पुत्र मगना हिस्सा 1/2 की खातेदारी हेतु तहसीलदार, खेतड़ी उनके विधिक वारिशान (वादीगण) की जांचकर नियमानुसार फौतगी विरासत नामांतरकरण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान

फूलचन्द आदि

ब–ना–म

बाबूलाल आदि

दावा बाबत **अधिकार घोषणात्मक**

मुकदमा नम्बर :– 130/2020

निर्णय दिनांक :– 08–08–2024

वादीगण की ओर से **श्री बजरंग शर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08–08–2024 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"ग्राम लालगढ़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के हाल खाता संख्या नया 82 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 3237, 3238 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है. में वर्तमान में दर्ज मृतक खातेदार नाराना पुत्र मगना हिस्सा 1/2 की खातेदारी हेतु तहसीलदार, खेतड़ी उनके विधिक वारिशान (वादीगण) की जांचकर नियमानुसार फौतगी विरासत नामांतरकरण की कार्यवाही करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

8/8/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी